

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-भू.अ./20 /

दिनांक:- / / 20

प्रेषित:

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री देवबाई गणारिया पिता सीताराम जी गणारिया

रोलाहेडा प.ह. रोलाहेडा के राजस्व ग्राम रोलाहेडा में जमाबन्दी संख्या 2078-81

की खाता संख्या 403 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व मूअनि

ने सम्मानजनक जाति/नाम गणारिया किये जान की रिपोर्ट की है।

सम्मानजनक जाति/नाम गणारिया को अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जान

उचित है। दोनों जातियाँ (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से सर्वाधिक जाति) अनुसूचित

श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 12

(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज

क्रमांक:-रीडर/2025/855

दिनांक-17/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का रोलाहेडा

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने कायत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 135

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी / प्रार्थीयान के अनुसार श्री देवबाई गणारिया पिता सीताराम जी गणारिया

राजस्व ग्राम रोलाहेडा प.ह. रोलाहेडा की खाता संख्या 403 में

जाति/नाम गणारिया दर्ज है। जिसे सम्मानजनक जाति/नाम की रिपोर्ट

पहचान प.ह. व मूअनि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति

सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री देवबाई गणारिया पिता सीताराम जी गणारिया

जाति/नाम गणारिया एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 135 के तहत संशोधित

करने की स्वीकृत एतद द्वारा दी जाती है। प.ह. राजस्व रि.

उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

चित्तौडगढ